



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-03-07-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त वसीम अहमद व इरशद को गौ-वध निवारण अधिनियम के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 01 - 01 माह के कारावास व कुल 4050-4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 112/2014 धारा- 279, 307 भा0द0वि0 व धारा- 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. इरशद अहमद पुत्र कुन्दुन शेख 2. वसीम अहमद पुत्र सफीर अहमद निवासीगण- अमॉव थाना-खागा, जिला -फतेहुपर को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 03-07-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 279, 307 भा0द0वि0 व धारा- 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अधिकतम 01 – 01 माह के साधारण कारावास व कुल 4050-4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 04 - 04 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी